

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक-निसप्रअअ/2016/93

दिनांक : 14 सितम्बर, 2016

कार्यालय आदेश

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत राजस्थान आवासन मण्डल में प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय में प्राप्त प्रथम अपीलों से सम्बन्धित कार्यालय कार्य का अनुश्रवण (Monitoring) निदेशक (विधि) द्वारा सम्पादित किए जाएंगे। निदेशक (विधि) पूर्ण परीक्षण पश्चात् निर्धारित समयावधि में प्रथम अपील की पत्रावलियां अपीलीय प्राधिकारी को प्रस्तुत होना सुनिश्चित करेंगे।



अध्यक्ष एवं आवासन आयुक्त
एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ / आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, अध्यक्ष/आवासन आयुक्त, राज. आवासन मण्डल, जयपुर।
2. मुख्य अभियन्ता-(मु.)/प्रथम/द्वितीय, राज. आवासन मण्डल, जयपुर।
3. सचिव, राज. आवासन मण्डल, जयपुर।
4. प्रथम अपीलीय अधिकारी प्रकोष्ठ (आर.टी.आई. सैल) को निर्देशित किया जाता है कि आर.टी.आई. की प्रथम अपील से सम्बन्धित समस्त पत्रावलियाँ निदेशक (विधि) को प्रस्तुत करेंगे।
5. वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी, राज. आवासन मण्डल, जयपुर।
6. निदेशक विधि, राज. आवासन मण्डल, जयपुर।
7. समस्त अति. मुख्य अभियन्ता, राज. आवासन मण्डल,
8. समस्त उप आवासन आयुक्त, राज. आवासन मण्डल,
9. समस्त, आवासीय अभियन्ता, राज. आवासन मण्डल,
10. रक्षित पत्रावली।



निजी सचिव
अध्यक्ष एवं आवासन आयुक्त
एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी